

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जयपुर, दिनांक 10.03.2017

अधिसूचना



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20) की धारा 16 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के कियान्वयन को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिये राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का निम्नानुसार गठन करती हैं, अर्थातः—

1. अध्यक्ष,
2. पांच अन्य सदस्य
3. सदस्य सचिव

उक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबन्धन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के तहत पृथक से विहित की जावेगी।

क्रमांक एफ 13 (10)(4)खा.वि./खा.सु.अ./2013

राज्यपाल की आज्ञा से,

10-03-2017

(आकाश तोमर)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
9. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना को प्रकाशन कराया जाकर प्रति विभाग को भिजवायें।
10. रक्षा पत्रिका।



ED
10.03.2017

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव